

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 23, गुरुवार, शके 1947- अगस्त 14, 2025 <i>Sravana 23, Thursday, Saka 1947- August 14, 2025</i>	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 01, 2025

संख्या जविप्रा/उपा-7/2025/डी-1495 :- जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा(3) के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित श्रीछत्रपति शिवाजीगृ.नि.स.स.लि. की योजना राठौड नगर के भूखण्ड संख्या 151 क्षेत्रफल 299.44 वर्गगज जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया है, का आवासीय से मिश्रित भू-उपयोग परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने बाबत अधिसूचना दिनांक 02.05.2025 द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (1)के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित श्रीछत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स.लि. की योजना राठौड नगर के भूखण्ड संख्या 151 क्षेत्रफल 299.44 वर्गगज जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर विकास योजना-2025 के अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 1.08.2025 को जारी की गई।

निशान्त जैन,
सचिव।